हिमाचल प्रदेशस सरकार

बहुउददेशीय परियोजनाएं एंव विद्युत विभाग

प्रारंभिक अधिसूचना

संख्याः एमपीपी-एफ(5)-11/2016-1 तारीख, शिमला-02, 15-02-2020

समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए महाल/ ग्राम नित्थर व गड़ेज, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में कुल 27-83-56 हैक्टेयर (343-19-00 बिघा) भूमि अपेक्षित है, नामतः लूहरी जल विद्युत परियोजना, चरण-1 (210मेगावाट) निर्माण हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा अधिकथित जिला कलक्टर, जिला कुल्लू द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/ प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट/प्रारम्भिक जांच का सार इस प्रकार हैः-

"समाजिक समाघात अध्ययन यूनिट इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रस्तावित परियोजना से होने वाले लाभ, प्रभावित परिवारों द्वारा संभावित रुप से अनुभव किये जाने वाले समाजिक दुष्प्रभावों से अधिक होगें। यदि समय से शमन उपायों, सुझावों और सिफारिषों को लागू किया जाए तो परियोजना प्रभावितों पर उपरोक्त भूमि अधिग्रहण के कारण आर्थिक एंव समाजिक प्रभाव सबसे कम होंगे"।

Received today on 29-02-20.

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट की एक प्रति अनुलग्नक **"अ"** संलग्न है।

भू-अर्जन के कारण कुल 26 कुटुम्बों के विस्थापन होने की संभावना है। ऐसे विस्थापन की आवश्यकता के कारण नीच दिए गए है।

"मुख्यतया मकानात जलाश्य मेंजलमग्न के कारण"।

Kgo Diwedi [illegible] Pl. take action immediately. 3/6 29/2/20.

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला कुल्लू, कुल्लू को प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन एंवपुनर्व्यव्यस्थापन के प्रयोजन हेतु प्रशासक के रुप में नियुक्त किया जाता है। अतः जिला कुल्लू, उप-तहसील नित्थर के महाल/ग्राम नित्थर व गड़ेज में यह अधिसूचित किया जाता है कि 27-83-56 हैक्टेयरमाप के एक भूखंड अर्थात 343-19-00 बिघा मानक माप के भूखंड, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता हैः-

Diary No. 176
Date 29.02.20
O/o LAO SJVNL (LHEP)

भूमि विवरण अनुलग्नक **"ब"** पर शामिल है।

वृक्ष	
किस्म	संख्या
वन वृक्ष	1597
फलदार वृक्ष	764
कुल	2361

संरचनाएं	
प्रकार	प्लिंथ क्षेत्र
कच्चा व पक्का	0-06-00 (जमाबंदी के अनुसार)

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधो के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबधित रेखांकन (प्लान) कलक्टर, भू-अर्जन, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवय को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एंव विनिर्दिष्ट एसजेवीएन लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना के अधिकारी और उनके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदामें खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कार्यालय कलक्टर, भू-अर्जन, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात, क्रय /विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नही करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी हितबद्व व्यक्ति द्वारा अर्जन के बारे में कलक्टर, भू-अर्जन, कार्यालय स्थित, बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला के समक्ष आक्षेप, यदि कोइ हो, फाईल किए जा सकेंगें।

संलग्नकः-यथोपरि।

आदेश द्वारा

अति0 मुख्य सचिव (विद्युत)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः उपरोक्त

तारीखः 15-02-2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु अग्रेषित हैः

1 अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 ।
2 अध्यक्ष, सामाजिक समाघात आकलन इकाई एवं निदेशक, हिप्पा, फेयरलॉन, शिमला।
3 निदेशक, जनसूचना एवं जनसम्पर्क, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 (ऑन लाईन)।

4 नियंत्रक, हिमाचल प्रदेश राज्य मुद्राणालय, शिमला-5 (ई-राजपत्र)।

5 जिलाधीश कुल्लू, जिला कुल्लू (हि.प्र.)।

6 उप-मण्डल दंडाअधिकारी, आनी, जिला कुल्लू (हि.प्र.) को उनके क्षेत्र में प्रचार एवं प्रसार हेतु।

7 नायब तहसीलदार, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू को 15 अतिरिक्त प्रतियों सहित संबंधित सभी पंचायतों को उपलब्ध करवाने, सहज दृश्य स्थानों में चस्पान एवं उनके क्षेत्र में प्रचार-प्रसार हेतु।

8 भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, बिथल, ग्रामबिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि.प्र.)। उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना का प्रचार सम्बन्धित क्षेत्र में स्थानीय भाषा में जनसाधारण की जानकारी हेतु सुविधाजनक स्थानों पर पोस्टर तैयार कर चस्पान करवाया जाए एवं नियम-5 के अन्तर्गत संबधित क्षेत्र में ढोल बजाकर जनसाधारण को सूचना देने बारे कार्यवाही की जावे।

9 परियोजना प्रमुख, लूहरी जलविद्युत परियोजना, चरण-1, बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला।

10 संरक्षण नस्ति।

विशेष सचिव (विद्युत)
हिमाचल प्रदेश सरकार।